**International Journal of Hindi Research**
**ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22**
**Received: 06-01-2020; Accepted: 07-02-2020; Published: 06-03-2020**
**www.hindijournal.com**
**Volume 6; Issue 2; 2020; Page No. 22-28**

# ग्राम समाज पर ग्राम पंचायत निर्वाचन प्रणाली के प्रभाव का अध्ययनः मध्यप्रदेश में सतना जिले के संदर्भ में

**अग्रवाल लोकेश [1], कुशवाहा लक्ष्मी कान्त [2]**

[1] सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर प्राचार्य एवं अतिरिक्त संचालक, इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत

[2] पी–एच.डी. शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत

**सारांश**

भारत एक ग्राम प्रधान देश है। गॉवों के विकास के लिए गॉव के ही लोगों को स्वायत्तता प्रदान करना सरकार का उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु सरकार द्वारा 1993 में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। कुछ वर्षों बाद धीरे–धीरे स्थिति यह हो गई की पंचायत के मुख्य पदों को लोग अपनी आमदनी का स्त्रोत समझ बैठे। तथा पंचायत पदों की उम्मीदवरी ज्यादा बढ़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ की पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ही बदल गया। उम्मीदवार जीत हांसिल करने के लिए सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग करते हैं। एक–दूसरे को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझने की वजाय व्यक्तिगत शत्रु समझने लगते हैं। गरीब तबके के उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए कर्ज लेते हैं। समाज कई सामाजिक–राजनीतिक गुटों में बंट जाता है। चुनाव हारने के बाद ये स्थितियॉ आपसी लड़ाई–झगडों में परिवर्तित हो जाती हैं। जिससे समाज में आपसी भाई–चारा और प्रेम व्यवहार खत्म हो रहा है।

**मूल शब्दः** पंचायतीराज, निर्वाचन प्रणाली, ग्राम समाज, प्रभाव, मध्यप्रदेश एवं सतना।

## प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की नीति की घोषणा की गई। इस दिशा में 2 अक्टूबर 1952 को ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम'' का शुभारंभ किया गया। जो कि सफल नहीं हो पाया। इसके बाद, बलवंत राय मेहता समिति 1957, के. संथानम समिति (1965) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा सम्बंधी अध्ययन के लिए, तथा अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुगन समिति (1988) स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा आदि विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया। जिन्होनें ग्राम स्वायत्तता एवं ग्राम विकास की रूपरेखा तैयार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जिनको ध्यान में रखते हुए सन् 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस पर नए सिरे से विचार किया गया। अतः 1993 में 73 वॉ संविधान संशोधन किया गया। जिसमें पंचायतों को स्वायत्तता एवं अधिकार प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किया गया। और इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। अतः मध्यप्रदेश में वर्ष 1994 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराये गए।

## संबंधित साहित्य का पुनर्रावलोकन

1. **शर्मा, जयप्रकाश (1994): ''वर्ग विचारधारा एवं समाज''** विचार धारा में भारतीय समाज व्यवस्था के परिवेश में लोकतंत्र का विश्लेषण, समाज व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था के पारस्परिक सम्बंधों तथा दोनों के मध्य पाई जाने वाली अन्तः कियाओं के स्वरूप व प्रभावों और परिवर्तन की दिशा जैसे बिन्दुओं के सन्दर्भ को हमारे सम्मुख उपस्थित करता है।

2. **कपूर आषा, आनंद कुमार, शेपर्ड एंड्रयू (2012)** ''भारतीय सतत् गरीबी रिपोर्ट'' पृ.क्र.– 65 में ''गरीबी, लोग और बदलते प्रतिमान : राजनीति का पक्षेप पथ'' और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विकरण युग में शासन, गरीबी और प्रांतीयता और गरीबी की राजनीति, बदलाव विरोधियों की राजनीति आदि बिन्दुओं पर बताया गया है।

3. **महिपाल, (2005), ''पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ'',** प्रस्तुत अध्ययन में वर्तमान पंचायती राज में विद्यमान चुनौतियों एवं समस्याओं के साथ–साथ पंचायती राज की सफलता के लिए कई अपार संभावनाओं के बारे में बताया गया, कि पंचायतों के सामने कई वित्तीय, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौतियाँ हैं।

4. **श्रीवास्तव, अरूण (1994) ''भारत में पंचायती राज''** में प्रचीन भारत में पंचायतो के विकास तथा पंचायती राज के इतिहास से संबंधित जानकारी बताई गई है।

5. **कटरिया सुरेन्द्र ''पंचायती राज सशक्तिकरण बाधाँए एवं संभावनाऍ''** में पंचायती राज के विगत वर्षों में किए गए विकास कार्य एवं उसमें आने वाली बाधाओं तथा इन बाधाओं को दूर करने के उपाय से संबंधित जानकारी बतलाई गई है।

6. **निकुंज एवं जैन, जे.के. (1995) – ''पंचायती राज व्यवस्था एक दृष्टि और एक दृष्टिकोण''** – इस पुस्तक में लेखक द्वारा नए पंचायती राज संबंधी संग्रहित लेखों के माध्यम से 73 वें संविधान संशोधन में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में चर्चा की गई है। तथा पंचायत को दिए गए संवैधानिक मान्यताओं, संविधान में सम्मिलित की गई 11वीं अनुसूची तथा पंचायत को दिये गये कार्यों एवं अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताया गया है।

7. **द्विवेदी, राधेश्याम (2006), ''म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम'',** में ग्राम पंचायत निर्वाचन, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन एवं जिला पंचायत का गठन तथा निर्वाचन की सम्पूर्ण प्राकिया का वर्णन किया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम–1995, मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम–1996 के मुख्य प्रावधानों के बारे वर्णन किया गया है।

## अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्राम समाज पर पंचायती राज निर्वाचन प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन करना।

## शोध प्रविधि

1. **अध्ययन का क्षेत्रः** प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए उत्तर–पूर्वी मध्यप्रदेश में सतना जिला का अध्ययन किया गया।
2. **अध्ययन का समग्रः** सतना जिले की सम्पूर्ण ग्राम पंचायातों को अध्ययन के समग्र के रूप में चुना गया।
3. **अध्ययन की इकाईः** प्रस्तुत शोध अध्ययन में चुनी गई ग्राम पंचायतों में से 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को अध्ययन की इकाई के रूप में चुना गया।
4. **निदर्शन विधिः** प्रस्तुत शोध अध्ययन में सतना जिला की दस तहसीलों यथा : सोहावल, नागौद, उंचेहरा, मैहर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, रामनगर, मझगवॉ तथा कोटर से दैव निदर्शन विधि द्वारा 05–05 ग्राम पंचायतों अर्थात कुल 50 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। तत्पश्चात दैव निदर्शन विधि द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में से 10–10 उत्तरदाताओं का चयन कर कुल 500 उत्तरदाताओं का चयन किया गया।

## सामाजिक–राजनीतिक स्थिति

निर्वाचन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ग्राम समाज के लोगों को ग्राम स्तर पर ही हक एवं अधिकार प्रदान करना है ताकि ग्राम समाज का विकास हो सके। प्रस्तुत शोध में दैव निदर्शन विधि के आधार पर कुल 500 उत्तरदाताओं का चयन कर अध्ययन किया गया। इस शोध के माध्यम से, समाज पर ग्राम पंचायत निर्वाचन के प्रभाव एवं उसके बाद की स्थितियों से संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया है। इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि निर्वाचन से पूर्व लोगों के मंन में क्या धारणा रहती है और निर्वाचन के पश्चात धारणा में क्या परिवर्तन आता है। तथा इस पूरी प्राकिया का ग्राम समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त जानकारी एवं आंकड़ों के अनुसार सारणीयन एवं विश्लेषण निम्न प्रकार हैं –

## ग्राम पंचायत निर्वाचन के पूर्व की जाने वाली तैयारी

ग्राम पंचायत निर्वाचन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जात है। शोधार्थी द्वारा द्वारा इसमें यह जानने का प्रयास किया गया कि ग्राम पंचायत की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उम्मीदवार किस तरह के उपाय करते हैं। अतः प्राप्त प्राथमिक तथ्य निम्न प्रकार हैं –

**सारणी 1:** उम्मीदवारों द्वारा ग्राम की जनता को अपने पक्ष में करने के साधन

| क्रमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | लोगों की आर्थिक सहायता | 48 | 9.6 |
| 2. | ग्राम पंचायत की जनता से विकास का वादा | 232 | 46.4 |
| 3. | सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन | 05 | 01 |
| 4. | अपना प्रचार–प्रसार | 19 | 3.8 |
| 5. | जनहित के कार्य करना | 186 | 37.2 |
| 6. | अन्य उपाय | 10 | 02 |
| योग | | 500 | 100 |

**स्त्रोत :** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि उम्मीदवारों द्वारा ग्राम की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए 46.4 प्रतिशत उम्मीदवार ग्राम की जनता से विकास का वादा करते हैं। 09.6 प्रतिशत उम्मीदवार लोगों की आर्थिक सहायता करके उनको अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करते हैं। ग्राम पंचायत के 3.8 प्रतिशत उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तथा ग्राम की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए 37.2 प्रतिशत उम्मीदवार जनहित के कार्य करते रहते हैं।

ग्राम पंचायतों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि निर्वाचन के दौरान ग्राम पंचायतों में निर्वाचन उम्मीदवारों की संख्या ज्याद होती है। जिसमें 12.4 प्रतिशत लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत निर्वाचन के दौरान 30 से अधिक सरपंच पद के उम्मीदवार निर्वाचन में खड़े होते हैं। जबकि 27.8 प्रतिशत लोगों का कहना है कि यह संख्या सिर्फ 30 तक होती है। तथा 25.4 प्रतिशत लोगों का कहना है की यह संख्या 20 तक होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादातार ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक 20 के ऊपर ही होती है।

अध्ययन क्षेत्र के 97 प्रतिशत लोगों का मानना है की निर्वाचन लड़ने वालों की संख्या ज्यादा होने पर समाज के लोग कई गुटों में बंट जाते हैं। तथा 94 प्रतिशत लोगों का कहना है की लोगों के अलग–अलग गुटों में बंटने से ग्राम समाज की एकता भंग होती है। जबकि गुटों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है इससे 82 प्रतिशत लोग सहमत हैं। जबकि अध्ययन क्षेत्र के 87 प्रतिशत लोगों का मानना है कि निर्वाचन के पूर्व राजनीतिक–सामाजिक प्रतिस्पर्धा से व्यक्तिगत लड़ाई–झगड़े उत्पन्न होते हैं।

**सारणी 2:** निर्वाचन के पूर्व व्यैक्तिक लड़ाई–झगड़ों का समाज पर प्रभाव

| क्रमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | समाज कई संघर्षशील गुटों में बंट जाता है | 23 | 4.6 |
| 2. | आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है | 08 | 1.6 |
| 3. | राजनीतिक लड़ाई सामाजिक लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है | 53 | 10.6 |
| 4. | समाज बिखर जाता है | 72 | 14.4 |
| 5. | लोगों में असंतोष तथा अविश्वास उत्पन्न हो जाता है | 57 | 11.4 |
| 6. | उपरोक्त सभी | 278 | 55.6 |
| 7. | अन्य कारण | 09 | 1.8 |
| योग | | 500 | 100 |

**स्त्रोतः** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

ग्राम पंचायत निर्वाचन के पूर्व व्यैक्तिक लड़ाई–झगड़ों का समाज पर 58 प्रतिशत बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जबकि 14 प्रतिशत लोगों का कहना है कि समाज बिखर जाता है 11 प्रतिशत लोगों में असंतोष तथा अविश्वास उत्पन्न हो जाता है तथा 10 प्रतिशत लोगों की राजनीतिक लड़ाई सामाजिक लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है। 4 प्रतिशत लोगों का कहना है कि समाज कई संघर्षशील गुटों में बंट जाता है। समाज में आपसी प्रतिस्पर्धा ऐसा 01 लोगों का मानना है तथा 02 प्रतिशत लोग समाज के विखराव का अन्य कारण मानते हैं।

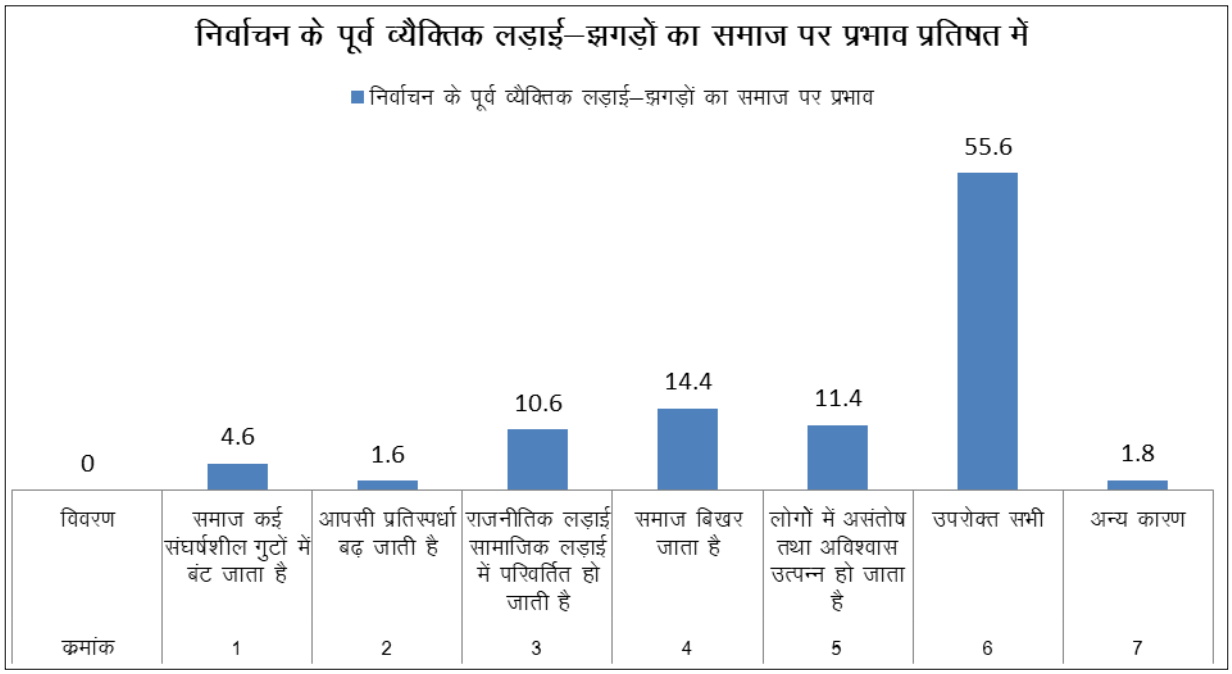


**ग्राफ क.–01**

निर्वाचन के दौरान उम्मीदवार एक दूसरे को अपना व्यक्तिगत विरोधी मानने लगते हैं इससे 79 प्रतिशत लोग सहमत हैं जबकि 21 प्रतिशत लोग असहमत हैं राजनीतिक संघर्ष से उत्पन्न झगड़े बाद में व्यक्तिगत और स्थाई हो जाते हैं इससे 76 प्रतिशत लोग सहमत हैं जबकि 24 प्रतिशत लोग असहमत हैं।

**सारणी 3:** राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामाजिक या व्यैक्तिक संघर्ष में परिवर्तित होने से निर्वाचन में प्रभाव

| कमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रतिनिधियों का मतदाताओं के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ जाता है | 74 | 14.8 |
| 2. | मतदाताओं में प्रतिनिधियों की दहशत भर जाती है | 16 | 3.2 |
| 3. | मतदाताओं को निर्वाचन के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर कई प्रकार की आशंकाएँ बनी रहती है | 117 | 23.4 |
| 4. | उपरोक्त सभी | 223 | 44.6 |
| 5. | मतदाता स्वतंत्र रहते हैं | 61 | 12.2 |
| 6. | अन्य कारण | 09 | 1.8 |
| योग | | 500 | 100 |

**स्त्रोतः** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामाजिक या व्यैक्तिक संघर्ष में परिवर्तित होने से निर्वाचन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक 23.4 प्रतिशत मतदाताओं को निर्वाचन के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर कई प्रकार की आशंकाएँ बनी रहती हैं। 44.6 प्रतिशत ऐसे मतदाता होते हैं जिनके ऊपर प्रतिनिधियों का दबाव भी होता है, दहशत भी होती है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित भी रहते हैं। पंचायत निर्वाचन में ऐसे सिर्फ 12.2 प्रतिशत मतदाता ही होते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं।

18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की आयु सीमा में बृद्धि होनी चाहिए एवं इस कानून में परिवर्तन होना चाहिए ऐसा 44 प्रतिशत लोगों का कहना है। जबकि 56 प्रतिशत लोग वर्तमान नियम के पक्ष में हैं। तथा 75 प्रतिशत लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निर्वाचन लड़ सकता है जो उसके ही परिवार का सदस्य हो। तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के चुनाव लड़ने के पक्ष में 41 प्रतिशत लोग नहीं हैं। जबकि 59 प्रतिशत लोग चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं।

**सारणी 4:** आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा प्राप्त होने के माध्यम

| कमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | उनके समर्थक देते हैं | 243 | 48.6 |
| 2. | उनके परिवार के लोग देते हैं | 87 | 17.4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | समाज के लोग देते हैं | 23 | 4.46 |
| 4. | साहूकार द्वारा कर्ज | 106 | 21.2 |
| 5. | अन्य माध्यम से | 25 | 05 |
| 6. | बैंक/समूह द्वानान | 16 | 3.2 |
| योग | | 500 | 100 |

**स्त्रोत :** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे 48.6 प्रतिशत उनके समर्थक उनको देते हैं। 17.4 प्रतिशत लोगों को उनके परिवार वाले तथा 4.6 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार को समाज के लोग पैसा देते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर 21.2 प्रतिशत उम्मीदवार साहूकारों द्वारा कर्ज लेते हैं तथा 3.2 प्रतिशत उम्मीदवार बैंक या समूहों से कर्ज लेते हैं। वहीं 05 प्रतिशत उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्हें अन्य माध्यमों से पैसा प्राप्त होता है।

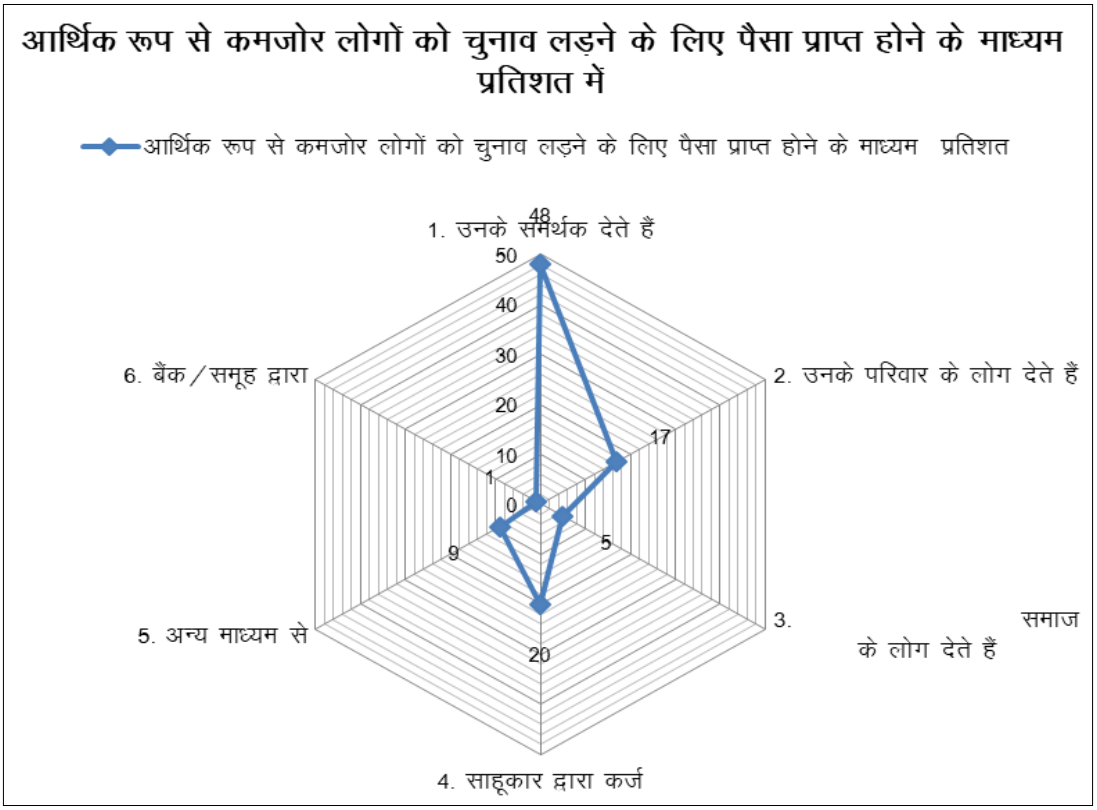


**ग्राफ क.–02**

अध्ययन से ज्ञात होता है कि सिर्फ 33 प्रतिशत उम्मीदवार ही ग्राम पंचायत की जनता के उम्मीदों के अनुरूप खरे उतरते हैं जबकि 67 प्रतिशत उम्मीदवार ग्राम पंचायत की जनता के अनुरूप खरे नहीं उतरते। जबकि निर्वाचन के दौरान 22 प्रतिशत निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव किया जाता है। जबकि 88 प्रतिशत निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाता। तथा अध्ययन क्षेत्र के 97 प्रतिशत लोगों को यह जानकारी है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष से निर्धारित की गई है।

**सारणी 5:** कर्ज लेकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हारने पर उनकी स्थिति पर प्रभाव

| कमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | परिवारिक स्थिति और कमजोर जो जाती है | 123 | 24.6 |
| 2. | साहूकार का दबाव ज्यादा बढ़ जाता है | 32 | 6.4 |
| 3. | सामाजिक स्तर में गिरावट आती है | 14 | 2.8 |
| 4. | उपरोक्त सभी | 311 | 62.2 |
| 5. | अन्य | 20 | 04 |
| योग | | 500 | 100 |

**स्त्रोत :** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि कर्ज लेकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हारने पर उनकी परिवारिक स्थिति 24. 6 प्रतिशत और कमजोर हो जाती है। जबकि 62.2 प्रतिशत उम्मीदवारों की परिवारिक स्थिति कमजोर हो जाती है साहूकार का दबाव बढ़ जाता है तथा सामाजिक स्तर में गिरावट आती है।

**सारणी 6:** ग्राम पंचायत के लोगो द्वारा सरपंच एवं सचिव से खुश एवं नाखुश होने के कारण

| | सरपंच | | | सचिव | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.** | **विवरण** | **आवृत्ति** | **प्रति.** | **विवरण** | **आवृत्ति** | **प्रति.** |
| 1. | हॉ | 195 | 39 | हॉ | 215 | 43 |
| 2. | नहीं | 305 | 61 | नहीं | 285 | 57 |
| योग | | 500 | 100 | | 500 | 100 |
| | **यदि नहीं तो क्यों** | | | **यदि नहीं तो क्यों** | | |
| 1. | सरपंच शिक्षित नहीं है | 40 | 13.11 | अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता | 71 | 24.91 |
| 2. | सरपंच भेदभव करता है | 145 | 47.54 | दमदार लोगों की ही बात सुनता है | 105 | 36.84 |
| 3. | सरपंच आपकी बातों को महत्व नहीं देता | 90 | 29.51 | सचिव ज्यादातर लोगों की बात नहीं सुनता | 74 | 25.97 |
| 4. | सरपंच प्रभावशाली नहीं है | 20 | 6.56 | अन्य कारण | 35 | 12.28 |
| 5. | अन्य कारण | 10 | 3.28 | | | |
| योग | | 305 | 100 | | 285 | 100 |

**स्त्रोत :** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत के 39 प्रतिशत लोग सरपंच से तथा 43 प्रतिशत लोग सचिव से खुश हैं। जबकि क्रमशः 61 एवं 57 प्रतिशत लोग सरपंच एवं सचिव से नाखुश हैं। सरपंच से ग्राम पंचायतों की जनता के नाखुस होने के 61 प्रतिशत विभिन्न कारणों में से सबसे बड़ा 47.54 प्रतिशत कारण सरपंच द्वारा किया जाने वाला भेदभाव है।

ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा सरपंच का विभिन्न प्रकार से राजनीतिक विरोध किया जाता है। जिसमें सर्वाधिक 39.4 प्रतिशत सरपंच द्वारा अपने ही लोगों को लाभ दिलाये जाने के कारण, 25.4 प्रतिशत ग्राम सभा की बैठक के दौरान तथा 14.6 प्रतिशत सरपंच द्वारा अन्य लोगों को लाभ न दिलाये जाने के कारण सरपंच का राजनीतिक विरोध होता है। तथा 10.8 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो सरपंच के निर्वाचित होने के पहले मतदान की बातों को लेकर एवं 9.8 प्रतिशत लोग अन्य कारणों से सरपंच का राजनीतिक विरोध करते हैं।

**सारणी 7:** ग्राम पंचायत निर्वाचन की क्या आवश्यकता है

| **क्रमांक** | **विवरण** | **आवृत्ति** | **प्रतिशत** |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्राम पंचायत के विकास के लिए | 321 | 64.2 |
| 2. | समाज के विकास के लिए | 97 | 19.4 |
| 3. | व्यक्तित्व के विकास के लिए | 24 | 4.8 |
| 4. | राजनीतिक जाग्रति के लिए | 58 | 11.6 |
| योग | | 500 | 100 |

**स्त्रोतः** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत निर्वाचन की 64.2 प्रतिशत आवश्यकता ग्राम विकास के लिए आवश्यक है। जबकि 19.4 प्रतिशत आवश्यकता समाज के विकास के लिए तथा 11.6 प्रतिशत राजनीतिक जाग्रति के लिए आवश्यक है।

महिलाओं के सरपंच होने से 61 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं, महिलाओं के सरपंच निर्वाचित होने से अन्य महिलाओं को राजनीति के प्रति प्रेरणा मिलती है। वहीं 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि महिला के सरपंच निर्वाचित होने पर उससे बातचीत करने में दिक्कत जाती है। तथा 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि महिला के सरपंच निर्वाचित होने पर पंचायत का सारा कार्य उसके पति के द्वारा ही किया जाता है। अतः पंचायत का कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता।

**सारणी 8:** पंचायत में विकास योजनाओं का लाभ न मिल पाने की वजह सचिव है या नहीं

| **क्र.** | **विवरण** | **आवृत्ति** | **प्रतिशत** |
|---|---|---|---|
| 1. | हॉ | 300 | 60 |
| 2. | नहीं | 200 | 40 |
| योग | | 500 | 100 |
| | यदि हॉ तो कैसे | | |
| 1. | सरपंच सचिव एक दूसरे की बात नहीं सुनते | 45 | 15 |
| 2. | सरपंच के अशिक्षित होने के कारण सचिव अपनी मनमानी करता है | 81 | 27 |
| 3. | कमीशन प्राप्त होने पर योजनाओं का लाभ दिलाता है | 70 | 23.33 |
| 4. | सचिव ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित नहीं रहता | 15 | 05 |
| 5. | वह गॉव वालों की समस्याओं को ऊपर अधिकारियों तक नहीं पहुॅचाता | 84 | 28 |
| 6. | अन्य कारण | 05 | 1.67 |
| योग | | 300 | 100 |

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत के लोगों को विकास योजनाओं का लाभ न मिल पाने की 60 प्रतिशत वजह सचिव है।

अधिकरियों द्वारा सरपंच एवं सचिव की शिफारिशों को 83 प्रतिशत सुना जाता है जबकि 17 प्रतिशत नहीं सुना जाता। जबकि ग्राम पंचायत निर्वाचन के दौरान एक भाई दूसरे सगे भाई के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करता है, इसका कारण 75 प्रतिशत अशिक्षा है। तथा अनपढ़ व्यक्ति के सरपंच निर्वाचित होने से सिर्फ

09 प्रतिशत लोग सहमत हैं जबकि 91 प्रतिशत लोग असहमत हैं।

**सारणी क्र.–9:** मुहल्ले वालों के किसी प्रस्ताव या मुद्दे पर वार्ड पंच के द्वारा पक्ष या विपक्ष में तर्क

| कमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | पक्ष में तर्क | 212 | 42.4 |
| 2. | विपक्ष में तर्क | 288 | 57.6 |
| योग | | 500 | 100 |
| **विपक्ष में तर्क क्यों** | | | |
| 1. | क्योंकि वो आपके पड़ोसी हैं और नहीं चाहते की आपको लाभ मिले | 57 | 19.79 |
| 2. | क्योंकि निर्वाचन के दौरान आपने उनको अपना बोट नहीं दिया था | 25 | 8.68 |
| 3. | क्योंकि निर्वाचन के समय आप उनके खिलाफ खड़े थे | 23 | 7.99 |
| 4. | आप बिना उनके सहयोग से अपना कार्य करवाना पसंद करते हैं | 37 | 12.85 |
| 5. | आप खुद किसी व्यक्तिगत कारणों से पंच का विरोध करते हैं | 33 | 11.46 |
| 6. | अन्य कारण | 31 | 10.76 |
| 7. | कुछ नहीं कह सकते | 82 | 28.47 |
| योग | | 288 | 100 |

**स्त्रोत :** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि मुहल्ले वालों के किसी प्रस्ताव या मुद्दे पर 42.4 प्रतिशत वार्ड पंचों द्वारा पक्ष में तर्क दिया जाता है। जबकि 57.6 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वार्ड पंचों द्वारा लोगों के विपक्ष में तर्क दिया जाता है। विपक्ष में तर्क देने के बावजूद भी 28.47 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पंच या सदस्य के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते अतः ऐसे लोग पंच परिवार वाले या खस लोग होते हैं।

**सारणी 10:** वार्ड पंच के पद को हटाए जाने या न हटाए जाने के पक्ष विपक्ष में तर्क

| कमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हटाया जाय | 136 | 27.2 |
| 2. | नहीं हटाया जाय | 364 | 72.8 |
| योग | | 500 | 100 |
| **यदि नहीं तो पंच का चुनाव कैसे हो** | | | |
| 1. | शिक्षित योग्यता के आधार पर पंचों की नियुक्तियॉ होनी चाहिए | 163 | 44.78 |
| 2. | जनता के द्वारा ही चुना जाना चाहिए | 174 | 47.80 |
| 3. | अन्य विधि द्वानान | 05 | 1.37 |
| 4. | कुछ नहीं कह सकते | 22 | 6.05 |
| योग | | 364 | 100 |

**स्त्रोत :** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि वार्ड पंच के पद को हटाए जाने से 27.2 प्रतिशत लोग सहमत हैं जबकि 72.8 प्रतिशत लोग असहमत हैं। ग्राम पंचायत निर्वाचन के दौरान लोग अपने हित के आंगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते इससे 66 प्रतिशत लोग सहमत हैं।

**सारणी क्र.–11:** वर्तमान परिपेक्ष्य में पंचायतों नें अपनी न्यायप्रियता खो दी है, तो क्या पंचायतों का अस्तित्व आवश्यक है

| कमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हॉ | 400 | 80 |
| 2. | नहीं | 100 | 20 |
| योग | | 500 | 100 |
| **यदि हॉ तो ग्राम पंचायतों की न्यायप्रियता को पुनः स्थापित कैसे किया जाय** | | | |
| 1. | पंचायतों को न्यायिक अधिकार देकर | 123 | 30.75 |
| 2. | समाज को न्यायिक अधिकार देकर | 21 | 5.25 |
| 3. | पंचायतों में प्रशासनिक पद स्थापित करके | 79 | 19.75 |
| 4. | जनता को प्रत्यक्ष न्यायिक अधिकार देकर | 169 | 42.25 |
| 5. | कुछ नहीं कह सकते | 08 | 02 |
| योग | | 400 | 100 |

**स्त्रोत :** शोधार्थी द्वारा स्वयं संकलित किया गया

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में पंचायतों ने अपनी न्यायप्रियता खो दी है फिर भी 80 प्रतिशत पंचायतों का अस्तित्व आवश्यक है जबकि न्यायप्रियता खोने के बाद 20 प्रतिशत पंचायतों का अस्तित्व आवश्यक नहीं है। यदि ग्राम पंचायतों का 80 प्रतिशत अस्तित्व आवश्यक है तो ग्राम पंचायतों की न्यायप्रियता को विभिन्न प्रकार से पुनः स्थापित किया जा सकता है। जिसमें सबसे प्रमुख 42.25 प्रतिशत लोगों का कहना है कि जनता को प्रत्यक्ष नागरिक अधिकार देकर जबकि 30.75 प्रतिशत लोगों का कहना है कि पंचायतों को न्यायिक अधिकार देकर तथा 19.75 प्रतिशत लोगों का कहना है

कि पंचायतों में प्रशासनिक पद स्थापित करके ग्राम पंचायतों की न्यायप्रियता को पुनः स्थापित किया जा सकता है। 5.25 प्रतिशत लोग समाज को न्यायिक अधिकार देने के पक्षधर हैं जबकि 02 प्रतिशत लोग कुछ कह नहीं सकते।

ग्राम पंचायतों का स्वरूप पहले की अपेक्षा 85 प्रतिशत बदल गया है। जिसमें इस बदलाव का कारण 3.06 प्रतिशत लोगों के बदलते प्रतिमान हैं। जबकि इस बदलाव का कारण 30.82 प्रतिशत निर्वाचन व्यवस्था है तथा 28.24 प्रतिशत न्याय व्यवस्था का आभाव एवं बदलाव के 05.88 प्रतिशत अन्य कारण हैं। तथा पंचायतों में सरपंच, पंच या अन्य पदों के लिए निर्वाचन पद्धति को खत्म करके कोई दूसरी पद्धति लागू की जा सकती है 26 प्रतिशत लोग इससे सहमत हैं जबकि 74 प्रतिशत लोग इससे असहमत हैं।

जबकि 80 प्रतिशत वर्तमान परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत निर्वाचन के कारण ग्राम समाज के लोगों में आपसी कलह एवं फूट पैदा हुई है।

## निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''ग्राम समाज पर ग्राम पंचायत निर्वाचन प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन (मध्यप्रदेश में सतना जिले के संदर्भ में)'' से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद प्रस्तुत निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं –

1. पंचायतों की प्रचीन व्यवस्था में बुद्धि एवं विवेक युक्त व्यक्तियों को समाजिक समझौते के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। जबकि वर्तमान समय में कई उम्मीदवारों के मध्य निर्वाचन संपन्न कराये जाते हैं।
2. ग्राम की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए 84 प्रतिशत उम्मीदवारों द्वारा विकास का वादा किया जाता है।
3. निर्वाचन के दौरान ग्राम पंचायतों में सरपंच उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा 30 तक होती है। उम्मीदवारों की ज्यादा संख्या होने पर समाज के लोग कई गुटों में बंट जाते हैं।
4. गुटों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है। अतः ग्राम समाज की एकता भंग होती है।
5. निर्वाचन के दौरान प्रतिनिधियों का 48 प्रतिशत मतदाताओं के ऊपर ज्यादा दबाव बना रहता है। जिससे उनमें निर्वाचन के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं बनी रहती हैं।
6. कई सरपंचों की कम उम्र होने के कारण उनमें ग्राम पंचायत संचालन की परिपक्वता का आभाव पाया गया।
7. पंचायती राज की जानकारी का आभाव होते हुए भी लोग कर्ज लेकर चुनाव लड़ते हैं जिसका सीधा असर उनकी परिवारिक स्थिति पर पड़ता है।
8. अध्ययन क्षेत्र की 21 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में आज भी मूलभूत सुविधाएँ बिजली, पानी, तथा सड़क, की व्यवस्था नहीं है।
9. सरपंच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं सचिव की व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के कारण ज्यादातर लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।
10. सचिव द्वारा सरपंच के अशिक्षित होने का फायदा उठाया जाता है।
11. अध्ययन क्षेत्र के 91 प्रतिशत लोग शिक्षित उम्मीदवारी से सहमत हैं।
12. ग्राम पंचायतों में वार्ड पंचों के उम्मीदारों के बीच आपसी लड़ाई–झगड़े की स्थितियॉ ज्यादा बनी रहती हैं।
13. वर्तमान परिपेक्ष्य में ग्राम समाज के लोगों में आपसी कलह एवं फूट का 80 प्रतिशत कारण पंचायत निर्वाचन प्रणाली है।
14. वर्तमान परिपेक्ष्य में पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच, पंच या अन्य पदों के लिए निर्वाचन पद्धति से 75 प्रतिशत लोग सहमत हैं। जबकि 25 प्रतिशत लोग निर्वाचन पद्धति को खत्म करके किसी दूसरी पद्धति को लागू करवाने के पक्षधर हैं।

## संदर्भ ग्रंथ सूची


1. गजेटियर म.प्र. सतना (1994), प्रकाशक, निर्देशक गजेटियर सांस्कृतिक विभाग म.प्र. सरकार, भोपाल।
2. जनसंपर्क विभाग, (2009) : ''मध्यप्रदेश के जिलों में जिला सरकार'' भोपाल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
3. दैनिक भास्कर, ''भारत विकास, ग्रामीण विकास'', 21 फरवरी 2013 : इंदौर ।
4. फड़िया, बाबूलाल एवं जैन श्री पाल (1982) : '' भारतीय संघ व्यवस्था'' साहित्य भवन पब्लिकेशनः आगरा।
5. फड़िया, बी.एल. (2002) : ''भारत में लोक प्रशासन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
6. बसु–रूमकी, (2005) : ''लोक प्रशासन'' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
7. भारत सरकार प्रकाशन, (2011), स्वाशासन ग्राम के द्वार, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालयः नई दिल्ली
8. मेघवाल, बी. एल., प्रथम संस्करण (1990), भारत–रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर'', प्रकाशकः डॉ. अम्बेडकर शिक्षा साहित्य एवं शोध संस्थान, उदयपुर।
9. मुखर्जी, राविन्द्रनाथ (2009): ''सामाजिक शोध व सांख्यिकी'' नई दिल्ली, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर।
10. माहेश्वरी, एस. आर. (1994), ''भारत में स्थानीय शासन'', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन : आगरा
11. महिपाल, (सम्पादक), चौहान, (1996), ''पंचायती राज अतीत, वर्तमान और भविष्य'', सारांश प्रकाशन प्रा.लि. : दिल्ली
12. माथुर, एल. (2010), ''ग्राम विकास की असीम सम्भावनायें'', टी.एम.एच. प्रकाशन : नई दिल्ली
13. मनोहर, पी.के., (2010), ''गॉव और भारतः एक दर्शन'', नीलमणी प्रकाशनः इलाहाबाद (उ.प्र.)
14. वसु, डी.डी. (2009), ''भारत का संविधान'', सर्वोदय पब्लिकेशन, दरियागंज : नई दिल्ली
15. शर्मा, आर.एस. (1998),: ''म.प्र. पंचायत राज अधिनियम–1993'', खेत्रपाल पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, इन्दौर।
16. सिंह, रामगोपाल एवं भारती (2002): ''सामजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन'', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।